न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 130/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/187)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसमत सिह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कुब्बेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. बलदेव सिह पुत्र निधान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एस द्वितीय तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 19.05.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

—निर्णय— दिनांकः 23.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 20 एच, पटवार मण्डल 2 डब्ल्यू की चालू जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/19 के मुरब्बा नम्बर 9, 23, 31, 46, 74/3, 74/13 में कुल 19.7090 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.240 हैक्टेयर भूमि अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी का सगा चाचा है। वादी व उसका परिवार व प्रतिवादी संख्या 1 व उसका परिवार चक 20 एच में संयुक्त रूप से निवारत थे। परिवार में वृद्धि हो जाने के कारण, वादी व उसके परिवार ने व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार ने अपनी सहमति से संयुक्त सम्पति का मौखिक बंटवारा करते हुये, सम्पति का सुविधाओ के अनुसार आदान प्रदान कर लिया था। उक्त बंटवारा के अनुसार ही वादी व उसका परिवार एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उसका परिवार सम्पति पर पिछले काफी समय कब्जा काश्त चले आ रहे है। उसी पारिवारिक बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पिता को चक 20 एच में वर्णित भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा वादी का पिता अपने जीवनकाल उक्त बंटवारा की सम्पति पर कब्जा काश्त था तथा उनके देहांत के पश्चात् वादी चक 20 एच में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.240 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी का उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक निर्बाध, निरंतर रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के द्वारा ही उक्त 1.240 हैक्टेयर भूमि का उपयोग व उपभोक कर रहा है। उक्त भूमि पर वादी व उसका परिवार बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त है, लेकिन उक्त भूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। इस कारण वादी व उसके हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी उक्त बंटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को आग्रह किया है कि वह बंटवारा में प्राप्त भूमि का अंकन वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/19 के मुरब्बा नम्बर 9, 23, 31, 46, 74/3, 74/13 की कुल 19.709 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.240 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे तथा वादगत भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सामिल मिसल किया गया। वादी जसमत सिंह व प्रतिवादी बलदेव सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। दोनों पक्षों की पहचान वादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिंह पुत्र निधान सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/19 में 1.240 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम वादी, प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

2. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, राजीनामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

3. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/19 के मुरब्बा नम्बर 9, 23, 31, 46, 74/3, 74/13 की कुल 19.709 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिंह पुत्र निधान सिंह के नाम दर्ज 1.240 हैक्टेयर भूमि का वादी जसमत सिंह पुत्र करतार सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसमत सिंह बनाम बलदेव सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 209, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर 130/2025
निर्णय दिनांक :-23.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 13/19 के मुरब्बा नम्बर 9, 23, 31, 46, 74/3, 74/13 की कुल 19.709 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिंह पुत्र निधान सिंह के नाम दर्ज 1.240 हैक्टेयर भूमि का वादी जसमत सिंह पुत्र करतार सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 24.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	1504	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 24.07.2025
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/543
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)